कार्यालय नगर निगम,देहरादून।

दूरभाष–0135&2655620, 2658204 फैक्स–0135&2651061
वेबसाइट–www.nagarnigamdehradun.com
ई–मेल: nagar_nigam2008@yahoo.com,nagarnigam.ddn@gmail.com

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I)

नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत 47 वार्डो में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) एंव क्षेत्र स्तरीय संघ (ALF) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.o.I) आमंत्रित की जाती है। आवेदन पत्र राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यालय नगर निगम से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र तिथि–27/01/2024 को सांय 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट /दस्ती के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त हुये आवेदन स्वीकार नही होगें। सम्बन्धी शर्तें एवं आवेदन प्रारूप नगर निगम बेवसाइट www.nagarnigamdehradun.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक संख्या – 6174/प्रो०सेल०/डे०एन०यू०एल०एम०/2023-24 दिनांक – 16/01/2024

प्रतिलिपि :

1. प्रशासक महोदया, को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संपादक, दैनिक समाचार पत्र ......हिन्दुस्तान....../......पायनियर......को अनुमन्य दरों पर देहरादून सिटी एडिशन में विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
4. श्री–मनीष पंत को उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I) को नगर निगम की बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

O/C

डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण (टी0ओ0आर0) हेतु शर्तें

1. स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ डे0एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत नगर निगम,देहरादून में पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ न्यूनतम 06 माह पहले पंजीकृत हो तथा समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा मासिक बचत,मासिक बैठक,दस्तावेजीकरण एंव रख–रखाव, बैंक खाता संचालन एंव आन्तरिक ऋण तथा उनके द्वारा सामाजिक एंव आर्थिक गतिविधियां वर्तमान में संचालित हो।
3. स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तगर्त सकियता के साथ से कितने वर्षो से आर्थिक गतिविधियों पर कार्य कर रही ऐसे समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ को प्राथमिकता दी जायेगी है।
4. स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) तथा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में सहभागिता की गतिविधियों मे प्रतिभाग किया गया हो, तथा नगर निगम,देहरादून के साथ जन जागरूकता के अभियान में शामिल हुये हो।
5. स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं द्वारा डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण हेतु नगर निगम,देहरादून द्वारा गठित समिति के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
6. स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं द्वारा वार्डो से एकत्रित की गई धनराशि/शुल्क को सप्ताह में तीन दिवसों में सक्षम प्राधिकारी को प्राप्ति रसीदों के पास जमा करना होगा। इस हेतु नगर निगम,देहरादून में पृथक खाता खोला जायेगा।
7. स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं को वार्ड में प्रेत्यक घर जाकर यूजर जार्च की बसूली करनी होगी तथा प्रत्येक परिवार को यूजर चार्ज वसूली की रसीद दी जायेगी।
8. स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं को वार्डो में यूजर चार्ज हेतु जन जागरूकता अभियान चलाकर जन मानस को प्रेरित करना होगा।
9. स्वय सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं को वार्डो से शत–प्रतिशत डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण करना आवश्यक होगा।
10. स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं को आबंटित वार्डो में यदि कार्य सन्तोष जनक एंव शिकायत मिलने पर समिति द्वारा तत्काल कार्यवाही कर उनको आबटित वार्ड अन्य समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ को दिया जायेगा और भविष्य में नगर निगम में होने वाले गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।
11. चयनित स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय सघं को डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण की गई धनराशि का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नगर निगम,देहरादून द्वारा स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ के खाते में देय होगी।
12. प्रत्येक वार्ड उपरोक्त कार्य हेतु एक अथवा अधिक समूह को नगर निगम,द्वारा आबंटित किया जायेगा। आबंटन को देने/निरस्त करने का अधिकार नगर निगम का होगा।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट)

13. डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज समह एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ हेतु, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.o.I) आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव डाक द्वारा या दस्ती जमा भी किये किये जायेगें।
14. अभिरूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज लिफाफे के उपर " डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज समह,अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण एंव अनुश्रवण " लिखकर रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / दस्ती द्वारा कार्यालय, नगर निगम देहरादून, पिन कोड – 248001(उत्तराखण्ड) को भेजें।
15. प्रस्ताव डाक द्वारा एंव स्वयं से ही स्वीकार किये जायेगें। प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि 25.01.2024 सांय 4.00 बजें तक है।
16. डाक व्यवस्था से बिलम्ब हुये प्रस्ताव हेतु नगर निगम उत्तरदायी नही होगा।
17. किसी भी प्राप्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार/अस्वीकार बिना कारण बताये कर सकता है।
18. स्वयं सहायता समूह, एंव क्षेत्र स्तरीय सघं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।
19. डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण / पृथकीकरण के अनुश्रवण प्रस्ताव एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है।
20. आवेदन पत्रों की लघु सूची तैयार की जायेगी। लघु सूची के अनुसार प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा की जायेगी।

मूल्यॉकन के मानदंड

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट) में प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन निमनानुसार किया जाना है:–

कमांक	पात्रता मानक	अंक
1.	स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ डे0एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत नगर निगम,देहरादून में पंजीकृत	10
2.	तकनीकी क्षमता – स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ न्यूनतम 06 माह पहले पंजीकृत 1. मासिक बैठक – 10 2. समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा मासिक बचत – 05 3. दस्तावेजीकरण एंव रख–रखाव – 05 4. बैक खाता संचालन – 05 5. एंव आन्तरिक ऋण – 05 6. सामाजिक एंव आर्थिक गतिविधियां वर्तमान में संचालित– 10	40

3.	स्वयं सहायता समूह एंव क्षेत्र स्तरीय संघ द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तगर्त सकियता के साथ से कितने वर्षो से आर्थिक गतिविधियों पर कार्य कर रही। 1. 05 वर्षो तक गतिविधियां करने वाले समूह– 15 2. 05 वर्ष से कम की गतिविधियां करने वाले समूह– 05	20
4.	नगर निगम,देहरादून के साथ जन जागरूकता सहयोग– 1. निकाय स्तर किये गये कार्यकमों में सहयोग– 05 2. स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान देहरादून में सहभागिता 15	20
5.	अभिनव पहल (सामाजिक कार्य,गरीब महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य,)	10
	कुल	100

नोटः– डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज सग्रह एंव अपशिष्ट एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण हेतु न्यूनतम 70 प्रतिशत अकं अनिवार्य होगें,अथवा गठित समिति द्वारा निर्यण लिया जायेगा।

नगर निगम,देहरादून

दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों हेतु डोर–टू–डोर यूजर चार्जेज संग्रह एंव अपशिष्ट
एकत्रीकरण/ पृथकीकरण के अनुश्रवण आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

1. समूह का नाम– ....

2. गठन की तिथि– ....

3. पंजीकरण संख्या– ....

4. समूह का पता– ....

5. अध्यक्ष का नाम–..............................मोबाईल न0..............................
6. कोषाध्यक्ष का नाम–..............................मोबाईल न0..............................
7. स्वय सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ गठन दिनाकं–..............................मासिक बैठक का विवरण–..............................
8. कार्यवाही रजिस्ट्रर में बैठक का प्रस्ताव–बैठक सं0..........दिनाकं..............................समूह की मासिक बचत..............................
9. स्वय सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ की कुल बचत–..............................बैक खाता संचालन–..............................
10. आन्तरिक ऋण का विवरण–.............................. दस्तावेजों का रख–रखाव का विवरण–..............................
11. सामाजिक एंव आर्थिक गतिविधियों वर्तमान में संचालित–..............................
12. 05 वर्ष तक किये गये कार्य का विवरण–..............................
13. 05 वर्ष से कम किये गये कार्य का विवरण–..............................
14. स्वय सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ गठन द्वारा नगर निगम के कार्यक्रमों में सहयोग का विवरण–..............................
....
15. स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में सहभागिता का विवरण–..............................
16. स्वयं सहायता समूह का वर्तमान कार्यक्षेत्र..............................
17. स्वयं सहायता समूह द्वारा किये जा रहें कार्यो का विवरण–(गठन तिथि से –वर्तमान तक) फोटो ग्राफ सहित
....
....
....
....
....
....
....
18. वार्ड न0 जहॉ स्वयं सहायता समूह कार्य करने का इच्छुक है–
(1) प्रथम प्राथमिकता–.............................. (2) द्वितीय प्राथमिकता–..............................

नोटः–कम0 सं0–7 से 15 तक का विवरण स्वय सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ को प्रस्तुत करना होगा।

स्थानः–

दिनाकंः–

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/कोशाध्यक्ष
(समूह की मुहर सहित)

एकत्रीकरण/ पृथक्कीकरण के अनुश्रवण ...

1. समूह का नाम– ......

मै0 वाटर ग्रेस इकॉन सनलाईट प्रा0 लि0, देहरादून को डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु अनुबन्धित वार्डो को विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम	वार्ड सं0	वार्ड का नाम
1	4	राजपुर
2	5	धोरण
3	6	दून विहार
4	7	जाखन
5	8	सालावाला
6	9	आर्यनगर
7	10	डोभालवाला
8	11	विजय कालोनी
9	12	किशन नगर
10	13	डी0एल0 रोड
11	14	रिस्पना
12	15	करनपुर
13	16	बकरालवाला
14	17	चुक्खुवाला
15	18	इन्दिरा कालोनी
16	19	घण्टाघर का0म0मा0
17	22	तिलक रोड़
18	23	खुड़बुड़ा
19	24	शिवाजी मार्ग
20	25	इन्द्रेश नगर
21	26	धामावाला
22	27	झण्डा मौहल्ला
23	31	कौलागढ़
24	32	बल्लूपुर
25	33	यमुना कालोनी
26	34	गोविन्दगढ़
27	35	सुमन नगर
28	36	विजय पार्क
29	37	बसन्त विहार
30	38	पण्डितवाड़ी
31	39	इन्द्रा नगर
32	40	सीमाद्वार
33	41	इन्द्रापुरम
34	42	कांवली
35	43	द्रोणपुरी
36	44	पटेल नगर पश्चिम
37	45	गांधीग्राम
38	46	अधोईवाला
39	47	चन्दर रोड
40	49	भगत सिंह कालोनी
41	69	रीठा मण्डी
42	70	लक्खीबाग
43	71	पटेल नगर पूरब
44	74	ब्रहमपुरी
45	75	लोहियानगर
46	76	निरंजनपुर
47	77	माजरा